समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

–: आदेश :–

12-11-2013

आवेदक **श्री विकास,** पिता–श्री कृष्ण कुमार राय, सा0–101 बी0, राघवेन्द्र अपार्टमेंट, पुनाईचक, पो0–पुनाईचक, थाना–शास्त्रीनगर, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–132/2009 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि–18.10.2013 निर्धारित की गई। अपरिहार्य कारणों से सुनवाई की पहली तिथि स्थगित करते हुए दूसरी तिथि–12.11.2013 निर्धारित की गई।

दूसरी निर्धारित तिथि दिनांक–12.11.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे व्यवसाय करते हैं। वे SPCL के निदेशक हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–366/गो0, दिनांक–15.04.2012 द्वारा पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक का शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र बिना अनुशंसा के अग्रसारित कर भेजा गया है। पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–13/सचि0, दिनांक–11.04.2012 द्वारा आवेदक के आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन की कंडिका–10 में अंकित टिप्पणी के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को बिना अनुशंसा के अग्रसारित कर मूल में संलग्न कर भेजी गयी है। थानाध्यक्ष, शास्त्रीनगर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक व्यवसाय करते हैं। वे SPCL के निदेशक हैं, उनका कार्य औरंगाबाद से बारूण तक चल रहा है, जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है। उन्हें कार्य के सिलसिले में उक्त नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाना पड़ता है। साथ ही प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक बिहार एवं झारखण्ड में कम्प्यूटर का सप्लाई करते हैं। अपने व्यवसाय के सिलसिले में पास में अधिक पैसा हो जाने के कारण सुरक्षा की आवयकता महसूस होती है। तदोपरान्त आवेदक के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर कुछ भी प्रतिवेदित नहीं करने के बावजूद आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने की अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहॉ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहॉ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री विकास, पिता–श्री कृष्ण कुमार राय, सा0–101 बी0, राघवेन्द्र अपार्टमेंट, पुनाईचक, पो0–पुनाईचक, थाना–शास्त्रीनगर, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

बाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।